न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 236/2012 तारीख रजू:– 06.11.2012

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1. प्रेमसिंह
2. रामनिवास
3. रामेश्वर
4. हरगोविन्द

पिसरान जतन जाति चोबदार निवासी चिनायटा तहसील हिण्डौन जिला करौली

5. सीमा पत्नि खिलोना
6. रामो पत्नि शिवदयाल

पुत्रीयॉ जतन जाति चौबदार निवासी बेरखेडा तहसील हिण्डौन जिला करौली

7. सूकी उर्फ सम्पत्ति पत्नि रामजीलाल जाति चौबदार निवासी भुकरावली तह. हिण्डौन जिला–करौली राज.(मृतक)
8. भौरी पत्नि घीसोली जाति चौबदार निवासी चिनायटा तहसील हिण्डौन जिला करौली राज.(मृतक)
9. मिठ्ठूलाल पुत्र घीसोली
10. कालीचरण पुत्र घीसोली
11. झूमा पुत्र अशोक

जाति चौबदार, निवासी चिनायटा तहसील हिण्डौन जिला करौली

———————— सायलान

बनाम

1. रामाधार पुत्र भूरीसिंह
2. गोपाल पुत्र रामाधार

जाति जाट निवासी चिनायटा तहसील हिण्डौन जिला करौली

3. शिवसिंह उर्फ शिब्बा पुत्र रामाधार
4. जगदीश
5. बनवारी
6. अशोक
7. लोकेश (मृतक)
8. रणधीर

पिसरान महोदवा जाति जाट निवासी चिनायटा तह0 हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी

9. चन्द्रमोहन पुत्र जबाली जाति खाती निवासी खातीपुरा जगर तहसील हिण्डौन जिला करौली

10. भफोली पुत्र गोपाल जाति जाट निवासी चिनायटा तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान ———————————————— गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :—1. श्री पी.एल. गोयल एडवोकेट सायलान

2. श्री रामभरोसी गोयल एडवोकेट गैरसायल सं01,2,3,7,8,9

3. श्री एस.एल.चौधरी एडवोकेट प्रतिसायल सं0 2 ता 6, 8

निर्णय

दिनांक :— 17.02.2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायलान ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि प्रार्थी सायल ने इस सम्मानीय अदालत में उक्त उनवान का वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर दिया है, जिसमें सायलान को सफलता मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है।

प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि आराजी सा०नं० 1559 रकबा 51 ऐयर बाके ग्राम चिनायटा तहसील हिण्डौन में स्थित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 3 में दर्ज किया कि मुतज्रिका मद नं0 1 प्रार्थना पत्र में सायल नं0 1 ता 6 का 1/3 हिस्सा व सायल नं0 7 का 1/3 हिस्सा व सायल नं0 8 ता 11 का 1/3 हिस्सा है तथा राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सं0 2067 से 70 में इसी प्रकार कब्जे काश्त का इन्द्राज दर्ज है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 4 में दर्ज किया कि उक्त आराजी मुतज्रिका मद नं0 1 प्रार्थना पत्र में सायलान का ही कब्जा काश्त है। व अन्य दीगर लोगों का उक्त आराजी से कोई वास्ता किसी प्रकार का नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 5 में दर्ज किया कि सायलान का गांव चिनायटा में एक मात्र घर है। तथा गैरसायलान जाति से जाट व लठठवाज व झगडालू व बदमाश किस्म के वयक्ति है। जो येन केन प्रकारेन जबरदस्ती

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (करौली)

सायलानकी भूमि पर जबरन कब्जा करने पर उतारू है। जो आये दिन सायलान को हैरान व परेशान करते रहते है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 6 में दर्ज किया कि बाका दिनांक 01.11.12 का समय करीब 12 बजे दिन का है कि सायल नं0 2,3,4 व 10 भूमि मुतजिका मद नं0 2 प्रार्थना पत्र पर काश्त करने हेतु खेत की सफाई कर रहे थे तो सभी गैरसायलानहोथे से लाठी डण्डा लेकर मौके पर आ गये। और सायलान को ऐलानियां धमकी दी कि इस खेत पर कोई कार्य मत करो इस पर तो हम अपना मकान बनायेंगे। यहां से भाग जाओ। इस पर मौके पर उपस्थित सायलान ने हाथ जोडकर कहा कि इस जमीन से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। ये तो हमारी खातेदारी की है तुम इस पर कब्जा मत करो मगर गैरसायलान अज खुद माननें को तैयार नहीं है। यदि गैरसायलान अपने मंसूवे में कामयाब हो गये तो सायलान को अकथनीय क्षति होगी।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 7 में दर्ज किया कि अगर गैरसायलान अपने उक्त गैरकानूनी मंसूबे में कामयाब हो गये तो, सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकान इन टर्मस ऑफ मनी होना संभव नही है, जबकि गैरसायलान को पाबन्द फरमाने से उन्हें कोई क्षति किसी भी प्रकार की नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 8 में दर्ज किया कि इस प्रकार प्राईमाफेसी केस व सुविधा का सन्तुलन भी सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि गैरसायलान को जरिये आदेश अस्थायी निषेधाज्ञा इस प्रकार ताफैंसला मुकदमा पाबन्द फरमाया जावे कि गैरसायलान, सायलान की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खं0नं0 1559 रकबा 51 ऐयर वाके ग्राम चिनायटा तहसील हिण्डौन में किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत न तो स्वयं करें। ना किसी अन्य से करावें तथा नाही भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास करें, नाही किसी अन्य से करावें तथा सायलान को उक्त आराजी में शान्तिपूर्वक काश्त करने देवे। रिकार्ड व मौके की यथास्थिति कायम रखें।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (करौली)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायलान जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये तथा जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 1 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं.1 में गलत दावा पेश होना स्वीकार है। सायल को सफलता मिलना कल्पना मात्र है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 2 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज आराजी खसरा नं0 1559 रकबा 51 ऐयर वाके ग्राम चिनयटा तह0 हिण्डौन में स्थित होना स्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 3 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं0 3 जिस प्रकार तहरीर किया गया है गलत होने के कारण अस्वीकार है। विवादित भूमि खसरा नं0 1559 रकबा 51 ऐयर वाके चिनायटा तह0 हिण्डौन सायलान के कब्जा काश्त एवं स्वामित्व की नहीं है। उक्त भूमि से सायलान का कोई वास्ता किसी प्रकार का नहीं है। विवादग्रस्त भूमि का साविक खसरा नं0 315 वाके ग्राम चिनायटा का सेटिलमेन्ट वालों ने नया नम्बर 1559 बनाया गया है तथा उक्त भूमि का साविक खसरा नं0 315 रकबा सम्पूर्ण को चिनायटा दिनांक 18.06.1984 को उसके खातेदार कल्ली पुत्र रामहंस ने गैरसायल रामाधार एवं गैरसायल नं0 4 ता 6 के पिता एवं गैरसायल नं0 7,8,9 के बाबा महादेवा को 8000/— में विक्रय कर दिया तथा उक्त चूकती राशि लेकर गैरसायल रामाधार एवं महादेवा का कब्जा कराकर स्टाम्प पर विक्रय नामा की लिखावट कराकर रोबरू गवाहान खातेदार कल्ली ने अपनी निशानी उक्त लिखावट विक्रयनामा पर कर दी तथा मौजूदा उपस्थित गवाहान के निशानी हस्ताक्षर कराकर उक्त लिखावट गैरसायल नं0 1 को दे दी। उसी समय गैरसायलान ने उक्त भूमि व फसल की सुरक्षा हेतु उक्त भूमि की चारों ओर पुख्ता बाउन्ड्री वाल करा दी तथा उसमें पुख्ता एवं पाटोर पोश निर्माण करा दिया तथा छपपर डाल दिये तथा पानी हेतु टयूबवैल कराकर बिजली कनेक्शन करा लिया जिसमें गैरसायलान मय बाल बच्चे के रहते चले आ रहे हैं। विवादित भूमि दिनांक 18.06.1985 से ही गैरसायलान के एक मात्र कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग में निरन्तर बिना रोक टोक व इल्म सायलान चली आ रही है। गैरसायलान का एडवर्स पजेशन हो चुका है

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (करौली)

तथा सायलान के खातेदारी अधिकारी इन्सटीगूस हो गये है तथा गैरसायलान को बाई आपरेशन ऑफ लॉ खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 4 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं0 4 गलत होने के कारण अस्वीकार है। विवादित भूमि से सायलान का कोई वास्ता किसी प्रकार का नहीं है और नाही सायलान का विवादित भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा काश्त ही है। विवादित भूमि दिनांक 18.06.1984 से गैरसायलान कब्जा काश्त एवं रिहायश के काम आ रही है जिसमें गैरसायलान ने पुख्ता एवं पाटोर पोश निर्माण करा रखा है तथा उसकी सुरक्षा हेतु वाउन्ड्री वाल करा रखी है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 5 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं0 5 गलत होने से अस्वीकार है। विवादित भूमि के गैरसायलान बोनाफाईड परचेजर विथ कन्सीड्रेशन है तथा दिनांक 18.06.1984 से निरन्तर काबिज है। सायलान का विवादित भूमि से कोई वास्ता किसी प्रकार का नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 6 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं0 6 गलत होने के कारण अस्वीकार है। दिनांक 01.11.2012 को सायलान एवं गैरसायलान के मध्य किसी प्रकार की कोई कहन सुन नहीं हुई और नाही गैरसायलान ने सायलान को किसी प्रकार की धमकी दी। इस मद में सायलान ने सभी तथ्य गतल दर्ज कर दावा एवं प्रार्थना पत्र हाजा पेश किया है। इसलिए सायलान को किसी प्रकार की अपूर्तनीय हानि होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 7 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं0 7 गलत है, स्वीकार नही है। सायलान को कोई भी अपूर्तनीय क्षति नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 8 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं0 8 गलत है, स्वीकार नही है। सायलान का कोई प्राईमाफेसी केस व सुविधा का सन्तुलन पक्ष में न होकर गैरसायलान के पक्ष में बखूबी साबित है।

उज्रात मजीद :–

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (करौली)

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 9 में दर्ज किया है कि सायलान क्लीन हैन्डस से अदालत के समक्ष नहीं आये है। सायलान ने सही तथ्यों को छिपाया है इसलिए सायलान कोई रिलीफ पाने के अधिकारी नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 10 में दर्ज किया है कि विवादित भूमि खसरा नं0 1559 रकबा 51 ऐयर वाके चिनायटा सायलान के कब्जा काश्त एवं स्वामित्व की नहीं है। उक्त भूमि का साविक खसरा नम्बर 315 वाके ग्राम चिनायटा दिनांक 18.06.1984 को उसके खातेदार कल्ली पुत्र रामहंस ने गैरसायल रामधार एवं गैरसायल नं0 4 ता 6 के पिता एवं गैरसायल 7,8,9 के बाबा महादेवा को 8000/— में विक्रय कर दिया तथा उक्त चूकती राशि लेकर गैरसायल रामधार एवं महादेवा का मौके पर कब्जा करा स्टाम्प पर विक्रयनामा की लिखावट कराकर रोबरू गवाहान खातेदार कल्ली ने अपनी निशानी उक्त लिखावट विक्रयननामा पर कर दी तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करा कर उक्त लिखावट गैरसायलान नं0 1 को दे दी उसी समय से गैरसायलान ने उक्त भूमि एवं फसल की सुरक्षा हेतु उक्त भूमि की चारों आर पुख्ता वाउन्ड्री वाल का निर्माण करा दिया तथा उसमें पुख्ता एवं पाटों पोश मकानियत का निर्माण करा दिया तथा छपपर डाल दिये तथा पानी हेतु टयूबवेल कराकर बिजली कनेक्शन करा लिया जिसमें गैरसायलान उसी समय से रहते चले आ रहे है। विवादित भूमि दिनांक 18.06.1984 से ही एक मात्र गैरसायलान के उपयोग एवं उपभोग एवं कब्जा में बइल्म सायलान बिना रोक टोक शान्ति पूर्वक चली आ रही है। गैरसायलान का एडवर्स पजेशन हो चुका है। सायलान के खातेदारी अधिकार इन्टीगुस हो गये है तथा गैरसायलान को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 11 में दर्ज किया है कि सायलान का विवादित भूमि पर कब्जा नहीं इसलिए कब्जा के अभाव में प्रार्थना पत्र हाजा एवं दावा सायलान खारिज किये जाने योग्य हैं। सायलान ने गैरसायलान के विरूद्ध गलत तथ्य दर्ज कर गैरसायलान को हैरान व परेशान करने की दृष्टि से दावा एवं प्रार्थना पत्र हाजा पेश किये हैं, जो प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य हैं।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (करौली)

अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र सायलान खारिज फरमाया जावे।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2067 –70 वाके ग्राम चिनायटा तहसील हिण्डौन पेश की है। इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने कोई भी दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत नहीं किया।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है एवं सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील सायलान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2067 –70 वाके ग्राम चिनायटा तहसील हिण्डौन के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1559 रकबा 0.51 है0 वाके ग्राम चिनायटा तहसील हिण्डौन की खातेदारी जतन पुत्र किशनलाल निवासी चिनायटा हि0 1/3, सूकी उर्फ सम्पति पत्नि रामजीलाल निवासी भुकरावली हि0 1/3, भोरी पत्नि घीसोली निवासी चिनायटा मिट्ठूलाल पुत्र घीसोली निवासी चिनायटा कालीचरण पुत्र घीसोली निवासी चिनायटा, झूमा पत्नि अशोक निवासी जरीला तहसील रूपवास जिला भरतपुर समभाग हि0 1/3 जाति चोवदान खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा इस जमाबन्दी पर अंकित नोट नामान्तकरण सं0 594 – नि0दिं0 07.06.2011– विरासत से जतन के बजाय प्रेमसिंह रामनिवास रामेश्वर हरगोविन्द पि0 जतन सीमा, रामो पुत्रियॉ जतन के नाम स्वीकार हुआ दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1559 रकबा 0.51 है0 वाके ग्राम चिनायटा तहसील हिण्डौन के सायलान रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार हैं। जिससे गैरसायलान का कोई सम्बन्ध

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (करौली)

या वास्ता किसी प्रकार का होना साबित नहीं होता है। गैरसायलान ने ऐसा कोई भी दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है कि जिससे यह साबित हो सके कि उक्त विवादित आराजीयात को गैरसायलान के द्वारा पूर्व में ही क्रय कर लिया हो तथा उक्त विवादित आराजीयात पर उनका कब्जा काश्त हो। बल्कि सायलान के द्वारा पेश किये गये दस्तावेजी सबूत के आधार पर सायलान उक्त विवादित आराजी के रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार हैं। ऐसी स्थिति में यदि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो सायलान के हक, हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडने की पूर्ण सम्भाना प्रतीत होती है। इस प्रकार सायलान के द्वारा पेश किये गये दस्तावेजी सबूतों के आधार पर प्रथम दृष्टया केस सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है तथा सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू भी सायलान के पक्ष में साबित है। सायलान का दावा स्थायी निषेद्याज्ञा का है। पक्षकारान के अधिकार दावे में सुरक्षित हैं। इसलिए दावे के निस्तारण तक रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखना न्यायोचित प्रतीत होता है। जिससे पक्षकारों के मध्य और विवाद नहीं बढे। ऐसी स्थिति में सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाता है कि गैरसायलान विवादित आराजी खसरा नम्बर 1559 रकबा 0.51 है0 वाके ग्राम चिनायटा तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 17/2/26
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (करौली)